



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of MS&ME, Govt. of India)

कोयर बोर्ड, एम. सी. रोड, काशी - 221016
Coir House, M.C. Road, Kashi - 221016
ग्राम / Gram: COIR BOARD
दूरभाष / Ph: 0464-2351054, 2351807, 2351788
फैक्स / Fax: 0464-2370034, 2354397
ई-मेल / E-mail: coir@msd2.vsnl.net.in
वेब / Web: www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

OFFICE ORDER NO. 61 DATED 23-11-2010

Sub: Right To Information Act, 2005-Change in Information Officers - reg.

As per the decision taken at the monitoring Committee of RTI Act held on 20-09-2010, Shri.P.C.Antonel Vaz, Joint Director(Plg.) and Shri.P.R.Ajithkumar, Senior Accounts Officer stand designated as Appellate Authorities under the provisions of the RTI Act in lieu of Secretary, Coir Board.

Smt.Anita Jacob, Deputy Director(S&R) is designated as CPIO in lieu of Shri P.C.Antonel Vaz, Joint Director(Plg.) and Smt.S.Anitakumari, Section Officer(S&T) and Shri.C.U.Abraham, Accounts Manager are designated as ACPIOs in lieu of Shri K.Ananda Babu, now Marketing & Publicity Officer.

The Monitoring Committee for implementation of the RTI Act will henceforth meet once in a month. Prompt and proper attention will be given to all the applications being received under the provisions of RTI Act by the CPIO/ ACPIO and the Branch Heads concerned will ensure that the required information are furnished to the CPIO/ ACPIO well in advance by the Branch Heads so as to enable them to furnish the same to the applicants within the time limit stipulated.

This supercedes all the earlier Orders in this regard.

This issues with the approval of Chairman, Coir Board.

Approved for issue

Sd/-
SECRETARY

[Signature]
ADMINISTRATIVE OFFICER

To

1. Shri.P.C.Antonel Vaz, Joint Director(Plg.)
2. Shri.P.R.Ajithkumar, Senior Accounts Officer
3. Smt.Anita Jacob, Deputy Director(S&R)
4. Shri K.Ananda Babu, Marketing & Publicity Officer
5. Smt.Anithakumari, Section Officer(S&T)
6. Shri.Abraham, Accounts Manager

Copy to:

1. The Director, RDTE, CCRI
2. The Director(Mktg.)
3. Sr.Accounts Officer
4. Joint Director(Plg.)
5. Establishment Sn.
6. ERS Sn./ Website
7. All Sections/Branch Officers in the Head Office
8. All Sub Offices & Coir Bhavans
9. Accounts Section
10. Personal File
11. Notice Board
12. Stock File

(Issued from file No.CB/Adm/2005/19/3-V)



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MS&ME, Govt. of India)

कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोच्ची - 682016
Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016
तार/ Gram : COIR BOARD
दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788
फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397
ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in
वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

कार्यालय आदेश सं.61.... दि.23-11-2010

विषय : सूचना हक अधिनियम, 2005 - सूचना अधिकारियों को बदलने से संबंधित

दि. 20.09.2010 को आयोजित सूचना हक (आरटीआई) अधिनियम की मॉनिटरिंग समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार, सचिव, कयर बोर्ड के बदले में श्री. पी.सी. आन्टनल वाज़, संयुक्त निदेशक (योजना) और श्री. पी.आर. अजितकुमार, वरिष्ठ लेखाधिकारी को आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपील प्राधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट किए जाते हैं ।

श्री. पी.सी. आन्टनल वाज़, संयुक्त निदेशक (योजना) के बदले में श्रीमती अनिता जेकब, उप निदेशक (एस व आर) को सीपीआईओ के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है और अभी विपणन व प्रचार अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री. के. आनन्द बाबु के बदले में, श्रीमती एस. अनिताकुमारी, अनुभाग अधिकारी(एस व टी) तथा श्री. सी.यू. अब्रहाम, लोखा प्रबन्धक को सहायक सीपीआईओ के रूप में नामोद्दिष्ट किए जाते हैं ।

आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग समिति अब से महीने में एक बार मिलेगी। सीपीआईओ/ सहायक सीपीआईओ द्वारा आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों पर तुरंत एवं उचित ध्यान दिया जाएगा और संबंधित शाखाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किए जाएंगे कि आवश्यक सूचना सीपीआईओ/सहायक सीपीआईओ को काफी पहले ही प्रस्तुत की गई है ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों को दे सके।

यह, इस संबंध में पहलें जारी किए गए सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है ।

यह अध्यक्ष, कयर बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

ह/-

सचिव

सुगान

प्रशासनिक अधिकारी

जारी करने हेतु अनुमोदित

सेवा में

1. श्री पी.सी. आन्टनल वाज़, संयुक्त निदेशक (यो)
2. श्री. पी.आर. अजितकुमार, वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. श्रीमती अनिता जेकब, उप निदेशक (एस व आर)
4. श्री. के. आनन्द बाबु, विपणन व प्रचार अधिकारी
5. श्रीमती अनिता कुमारी, अनुभाग अधिकारी (एस व टी)
6. श्री. अब्रहाम, लेखा प्रबन्धक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, आरटीआई, सीसीआरआई
2. निदेशक (वि) प्र.
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी
4. संयुक्त निदेशक (यो)
5. स्थापना अनुभाग
6. ईआरएस अनुभाग/ वेब साइट
7. मुख्यालय के सभी अनुभाग एवं शाखाधिकारी
8. सभी उप-कार्यालय एवं कयर भवन
9. लेखानुभाग
10. वैयक्तिक फ़ाइल
11. नोटिस बोर्ड
12. स्टॉक फ़ाइल

(फ़ाइल सं.सीबी/प्रशा/2005/19/3-V से जारी)